

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्रीमति सुनीता सिंह, पति-श्री प्रबुद्ध कुमार सिंह, हेतलीबंध, झरिया, पोस्ट-झरिया, जिला-धनबाद द्वारा भोजपुर सोन-05 बालू घाट मौजा-धंडीहा और फरहंगपुर, ब्लॉक-कोईलवर, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 25.05.2023 को पूर्वाह्न11:00 बजे भोजपुर जिला के सोन-05, मौजा-धणडीहा एवं फरहंगपुर, अंचल-कोईलवर, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2067/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री विक्रम विरकर, उप विकास आयुक्त, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 25.05.2023 को पूर्वाह्न11:00 बजे सोन-05, मौजा- धणडीहा और फरहंगपुर, अंचल- कोईलवर, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 14.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र

में वृक्षारोपण (550 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री विश्वजीत सिंह, पिता-स्व. रवीन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम-धंडीहा, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को रोजगार मिलेगा या नहीं। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। इस प्रकार श्री विश्वजीत सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मोहित कुमार सिंह, पिता-स्व. नरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम-धण्डीहा, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत जो पेड़ लगाये जायेंगे कहाँ लगाएँगे, उनका रख-रखाव कौन करेंगे। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 550 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा एवं रख-रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क कर हॉल रोड, गाँव के आस-पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। उप विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि पेड़ों की सुरक्षा एवं रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण द्वारा कराया जाय।
3.	श्री नारायण सिंह, पिता-स्व0 शंकर सिंह, धंडीहा, भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि ट्रक चलेगा तो धूल उड़ेगा, इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे।



		पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय-समय पर किया जायेगा। इस प्रकार अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री नवल किशोर पांडेय, स्व0 राम नगीना पांडेय, धंडीहा, भोजपुर।	<p>इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से आने-जाने में काफी परेशानी होती है, धूल उड़ता है पैदल चलने का रास्ता नहीं रहता है, मरीज को आपातकाल में ले जाना मुश्किल होता है।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। Traffic का वर्तमान झमता एवं विस्तारित झमता का आंकलन कर, जिला-प्रशासन के सहयोग से Traffic Control किया जायेगा।</p>
5.	श्री राज कुमार यादव, पिता-स्व0 पारसनाथ यादव, घंडीहा, भोजपुर।	<p>इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस-पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।</p>

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम-से-कम 1000 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि घाट, नदी, बालू इत्यादि स्थानीय लोगों का ही है। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ-व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ-साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।









जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझावों को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


31/1  
30-5-23  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्वद्व.पटना

30.05.23  
उप विकास आयुक्त  
भोजपुर

## उपस्थिति सूची

श्रीमति सुनिता सिंह द्वारा सोन 05 बालू घाट, मौजा-धंडीहा और फरहंगपुर, अंचल-कोईलवर, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.		DDC, Bhojpur	 25/05/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	श्रीमती पद्मावती विहार राज्य उद्घरण निदेशक परिसर पटना	 25-5-23
3.	आनंद झा	नवनिर्वा विकास परियोजना मौजा, धाम	 25/05/23
4.	Manna K S Sharma	Ryan Envyro Pvt. Ltd. Patna	
5.	Vikash Mishra.	Ryan Envyro Pvt Ltd. Sr. Manager	
6.	VIKASHU Singh	Vill+Post - Dhandaha	
7.	Vinay K. Singh	Club Road AOS	
8.	श्रीमती सुनीता सिंह	सामाजिक कार्यकर्ता	श्रीमती सुनीता सिंह
9.	Armod Singh	Kulharua	
10.	SATISH KUMAR	VILL MANA BARCHA	Satish Kumar
11.	श्रीमती सुनीता सिंह	धंडीहा	श्रीमती सुनीता सिंह
12.	सुनिता सिंह	धंडीहा	सुनिता सिंह

13.	अजुनि शां पादक	वपुसीहा	अजुनि शां
14.	पुण्डरीक	पुण्डरीक	पुण्डरीक
15.	राज कुमार शाह	ग्राम + पोस्ट चनडीहा	राज कुमार शाह
16.	विठ्ठल शाह	ग्राम लउडीहा	विठ्ठल शाह
17.	अनुराधा	सकौदे	अनुराधा
18.	पती 30 सिंह	उदव-र-गा	पती 30 सिंह
19.	Bans Nath Singh	mill - Labdvari	
20.	राहुल कुमार	एउसीहा	राहुल कुमार
21.	कुन्दन कुमार सिंह	ग्राम + पोस्ट चनडीहा	कुन्दन कुमार सिंह
22.	अंशु कुमार	ग्राम + पोस्ट - वपुसीहा	अंशु कुमार
23.	रितीश कुमार	ग्राम + पोस्ट वपुसीहा	रितीश कुमार
24.	कुन्दन कुमार	साइयापुर	कुन्दन कुमार
25.	Prady Sharam	Dharaha	Prady Sharam
26.	Aditya Kumar	Dharaha	Aditya Kumar
27.	Cradda Singh	Dharaha	Cradda Singh



28.	MITESH KUMAR DANDEY	Dhandikee	Mitesh Kr Pandey
29.	VISHWAJEET SINGH	Dhandika	Nishwanjit Singh
30.	Mohit Kr Singh	Dhandiha	<del>Mohit</del>
31.	Prabuneh Kr Singh	Dhandeh	Prabuneh Kr Singh
32.	21 जे 21	Dhandey	21 जे 21
33.	कै-जल गुजाल	कास्टी	कै-जल गुजाल
34.	अमर गुजर	अमर	अमर गुजर
35.	मनीष गुजर	मनीष	मनीष गुजर
36.	विजय गुजर	विजय	विजय गुजर
37.	अविनाश गुजर	अविनाश	अविनाश गुजर
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			